

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.10(15)नविवि / 3 / 2013

जयपुर दिनांक :- 9 DEC 2014

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम,
समस्त।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त।


**विषय :- मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/
नियमितिकरण) उपविधियां, 2014**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 25.09.2014 के द्वारा मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां, 2013 एवं नगर निगम, जयपुर के लिए जारी निर्देश दिनांक 23.01.2013 ("नगर निगम, जयपुर (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां, 2013") को स्थगित किये गये थे। उक्त उपविधियां 2013 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

पत्र के साथ सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् "मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां, 2014" की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया इसे तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त स्थानीय निकायों को उपरोक्तानुसार निर्देशित किये जाने हेतु।
6. आयुक्त, राजस्थान, आवासन मण्डल, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

मॉडल नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण/नियमबद्धता/नियमितिकरण)
उपविधियां, 2014

.....(शहर का नाम) के नगरीय क्षेत्र में निर्मित आवासीय/15 मीटर तक की ऊँचाई के भवन/बहुमंजिले भवन एवं अन्य सभी प्रकार के भवन एवं व्यावसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवनों में नियम विरुद्ध निर्माण के नियमितिकरण के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम- 2009 (अधिनियम सं. 18 वर्ष 2009) की धारा 194, 299 एवं 340/नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा /जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा /जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय क्षेत्र..... के लिए निम्न उपविधियां बनाती है :-

1. शीर्षक सीमा एवं प्रभाव -

- (प्र) यह उपविधियां (शहर का नाम) नगरीय क्षेत्र (भवन अनियमित निर्माण नियमबद्धता/नियमितिकरण) उपविधियां, 2014 कहलायेगी।
(ख) यह उपविधियां नगरीय क्षेत्र की चारदीवारी को छोड़कर शेष समस्त क्षेत्र में प्रभावशाली होगी।
(ग) यह उपविधियां तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ :-

- I. "अधिनियम" से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं. 18 सन 2009)/नगर सुधार अधिनियम, 1959/जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982/जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 से है।
- II. "स्थानीय निकाय" से तात्पर्य विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका से है।
- III. "प्राधिकृत प्राधिकारी" से तात्पर्य नगरीय निकाय के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त किये गये जोन आयुक्त/उपायुक्त अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी से है।
- IV. इस उपविधियों में जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किये गये हैं उनके संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009/नगर सुधार अधिनियम, 1959/जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 व जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 में दी गई परिभाषाएँ लागू होगी।

3. निषेध :-

नगरीय क्षेत्र की सीमा में कोई व्यक्ति, संस्थान कम्पनी इत्यादी नगरीय निकाय की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भूखण्ड पर निर्माण कार्य नहीं करेगा एवं अनुमति प्राप्त कर स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण कर सकेगा। भूखण्ड पर निर्धारित सैट बैक ऊँचाई एवं उपाविधियों के अनुरूप निर्माण किया जावेगा। परन्तु उक्त उपविधियों में वर्णित तालिका (क) के अनुरूप नियमन राशि जमा कराये जाने पर अनियमित निर्माण को उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के तहत नियमन किया जा सकेगा।

4. नियमितिकरण :-



..... के नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा अनुमोदित योजनाओं में स्थित सभी भूखण्डों पर बिना स्वीकृति के भवन निर्माण या स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण अथवा अधिक निर्माण करने पर तालिका (क) के अनुरूप नियमन राशि अदा करने पर नियमन किया जावेगा।

तालिका (क)

अनियमित भवन निर्माण का नियमितिकरण निम्न तालिका के अनुरूप नियमन राशि जमा कर किया जा सकेगा।

क्र.सं.	विवरण	भवन का विवरण	उल्लंघन का विवरण	नियमन राशि प्रति वर्ग मीटर प्रचलित आवासीय आरक्षित दर के अनुरूप
1.	अग्र सैट बैक	(अ) 15.00 मी. तक ऊँचाई के भवन	नियमानुसार अनुज्ञेय सैट बैक दूरी का 10 प्रतिशत तक	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत
		(ब) 15.00 मी. से अधिक ऊँचाई के भवन	नियमानुसार अनुज्ञेय सैट बैक दूरी 5 प्रतिशत तक	आरक्षित दर का 200 प्रतिशत
2.	साईड (दोनों दायें एवं बायी तरफ)	(अ) 15.00 मी. तक ऊँचाई के भवन	नियमानुसार अनुज्ञेय सैट बैक दूरी का 25 प्रतिशत	आरक्षित दर का 25 प्रतिशत
		(ब) 15.00 मी. से अधिक ऊँचाई के भवन	नियमानुसार अनुज्ञेय सैट बैक दूरी का 10 प्रतिशत तक	आरक्षित दर का 100 प्रतिशत
3.	पीछे	(अ) 15.00 मी. तक ऊँचाई के भवन	नियमानुसार अनुज्ञेय सैट बैक दूरी का 30 प्रतिशत	आरक्षित दर का 25 प्रतिशत
		(ब) 15.00 मी. से अधिक ऊँचाई के भवन	नियमानुसार अनुज्ञेय सैट दूरी का 10 प्रतिशत	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत
4.	ऊँचाई	(अ) 15.00 मी. तक ऊँचाई के भवन	नियमानुसार अनुज्ञेय ऊँचाई का 10 प्रतिशत अथवा 1 मी. जो भी कम हो बशर्ते अतिरिक्त मंजिल का निर्माण नहीं किया गया हो। भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक हो जाने पर अग्निशमन प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।	250 वर्ग मीटर के भूखण्ड तक 5000/- रु. एवं 250 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक 10000/- रुपये 500 वर्ग मीटर से 750 वर्ग मीटर तक 25000/- रु. 750 वर्ग मीटर से अधिक 50000/-
		(ब) 15.00 मी. से	नियमानुसार अनुज्ञेय	5000 वर्ग मीटर के

		अधिक ऊँचाई के भवन	ऊँचाई का 10 प्रतिशत अथवा 2 मी. जो भी कम हो बशर्ते अतिरिक्त मंजिल का निर्माण नहीं किया गया हो।	भूखण्ड तक 100000/- रु. एवं 5000 वर्ग मीटर से अधिक 200000/- रु.
5.	भवन रेखा के अन्दर आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि	(अ) 15.00 मी. तक ऊँचाई के भवन	नियमानुसार सैट बैक नियमन सीमा तक अथवा 10 प्रतिशत तक जो भी कम हो	आरक्षित दर का 50 प्रतिशत
		(ब) 15.00 मी. से अधिक ऊँचाई के भवन	नियमानुसार सैट बैक नियमन सीमा तक अथवा 5 प्रतिशत तक जो भी कम हो	आरक्षित दर का 100 प्रतिशत
6.	एफ.ए.आर.	(अ) 15.00 मी. तक ऊँचाई के भवन	अधिनिकतम अनुज्ञेय एफ. ए.आर. के अतिरिक्त 10 प्रतिशत एफ.ए.आर. तक	आरक्षित दर का 100 प्रतिशत
		(ब) 15.00 मी. से अधिक ऊँचाई के भवन	अथवा 0.2 तक जो भी कम हो।	
7.	बिना स्वीकृति निर्माण	(अ) 15.00 मी. तक ऊँचाई के भवन	भवन विनियम के अनुसार किया गया निर्माण तथा भवन विनियमों के विपरित नियमबद्ध योग्य निर्माण	मानचित्र का अनुमोदन शुल्क का 150 प्रतिशत (अनुज्ञेय निर्माण सीमा तक) व शेष नियमबद्ध योग्य निर्माण हेतु देय राशि
		(ब) 15.00 मी. से अधिक ऊँचाई के भवन	भवन विनियम के अनुसार किया गया निर्माण तथा भवन विनियमों के विपरित नियमबद्ध योग्य निर्माण	मानचित्र का अनुमोदन शुल्क का 150 प्रतिशत (अनुज्ञेय निर्माण सीमा तक) व शेष नियमबद्ध योग्य निर्माण हेतु देय राशि
8.	पार्किंग की कमी	(अ) 15.00 मी. तक ऊँचाई के भवन	केवल नियमबद्ध किये गये निर्माण हेतु आवश्यक पार्किंग के 5 प्रतिशत अथवा 1 इसीयू जो भी अधिक हो तक की पार्किंग कमी	75000/- प्रति इसीयू
		(ब) 15.00 मी. से अधिक ऊँचाई के भवन		
9.	बालकनी की	(अ) 15.00 मी.	अनुज्ञेय बालकनी की	आरक्षित दर का 50

	चौड़ाई एवं कवररेज	तक ऊँचाई के भवन (ब) 15.00 मी से अधिक ऊँचाई के भवन	चौड़ाई का अधिकतम 50 प्रतिशत चौड़ाई तक या 1.5 मीटर जो भी न्यूनतम हो।	प्रतिशत
10.	बेसमेंट अधिकतम आच्छादित क्षेत्र/ऊँचाई में वृद्धि	(अ) 15.00 मी तक ऊँचाई के भवन (ब) 15.00 मी से अधिक ऊँचाई के भवन	निर्धारित एरिया से अधिक बेसमेंट निर्मित करने पर (सैट-बैक नियमन की सीमा तक)	पण केवल पार्किंग उपयोग होने पर- आरक्षित दर का 10 प्रतिशत पण अन्य उपयोग होने पर- आरक्षित दर का 100 प्रतिशत
11.	प्रोजेक्शन (छज्जा प्रोजेक्शन स्टेयर केस, मिडलैण्डिंग प्रोजेक्शन आदि)	सभी प्रकार के भवन	मूल सेटबैक लाईन से अनुज्ञेय प्रोजेक्शन की चौड़ाई का 20 प्रतिशत तक उल्लंघन	आरक्षित दर का 10 प्रतिशत
12.	पोर्च	सभी प्रकार के भवन	बिना पूर्व स्वीकृति के अतिरिक्त पोर्च निर्माण अनुज्ञेय क्षेत्रफल से 20 प्रतिशत तक अधिक निर्माण	5000/- (पांच हजार रुपये) 2000/- (दो हजार रुपये)

नोट :-

- (i) अनुमोदित मानचित्र के विपरीत भवन में आंतरिक परिवर्तन (नियमानुसार स्वीकृति योग्य) किये जाने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- (ii) निर्धारित दर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित उस क्षेत्र की प्रचलित संबंधित उपयोग की आरक्षित दर होगी। व्यावसायिक उपयोग हेतु यदि आरक्षित दर निर्धारित नहीं हो, तो आवासीय आरक्षित दर का दो गुणा व्यावसायिक आरक्षित दर माना जावेगा तथा अन्य सभी उपयोगों हेतु आवासीय आरक्षित दर को आधार माना जावेगा।
- (iii) इन उपविधियों के प्रभावी होने पर जयपुर में निर्मित स्वतन्त्र आवासीय भवनों में नियमितकरण इन विनियमों के तहत किया जा सकेगा।
- (iv) राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं में निर्मित स्वतन्त्र आवासीय भवनों में निमित्तकरण इन विनियमों के तहत किया जा सकेगा।

h.
402

- (v) भवन विनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय एफ.ए.आर. से अधिक निर्माण होने पर सभी प्रकार के उल्लंघनों हेतु नियमन राशि देय होगी।
- (vi) किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण जिसका नियमितकरण किया जा रहा है उसके लिए पार्किंग समानुपातिक रूप से रखा जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा तालिका (क) के बिन्दु संख्या 08 के अनुरूप पार्किंग की कमी हेतु जुर्माना राशि देय होगी।
- (vii) जिन भूखण्डों में "एफ.ए.आर." जो भी प्राप्त हो, के आधार पर नक्शों स्वीकृत किये गये हैं उनमें "एफ.ए.आर." वृद्धि के लिए कोई अलग से शुल्क नहीं देय होगा। परन्तु "एफ.ए.आर." में जिस कारण वृद्धि हुई है जैसे नियमबद्ध सीमा में सेटबैक में निर्माण अथवा आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि तो ऐसी स्थिति में जिस मद से उल्लंघन किया गया है उसकी नियमन राशि तालिका में वर्णितानुसार देय होगी।
- (viii) 300 वर्ग मीटर से छोटे स्वतंत्र आवासीय भूखण्डों को पार्किंग की गणना से मुक्त रखा जावेगा।
- (ix) मास्टर प्लान में दर्शाये गये भू-उपयोग से विपरीत किये गये निर्माण का नियमन नहीं किया जायेगा। परन्तु जिस भू-प्रयोजन के लिए भूखण्ड आवंटित है, उसका मास्टर प्लान के अनुरूप भू-स्वामी द्वारा उपयोग लिये जाने पर भू-उपयोग परिवर्तन राशि नियमानुसार जमा कराये जाने पर नियमन योग्य भवन का नियमन किया जावेगा।
- (x) भवन की बुनियादी सुविधाओं हेतु प्रदत्त गैस बैंक, जनरेटर, गार्डरूम, लैण्ड-स्केपिंग, ट्रांसफॉर्मर आदि को अवैध निर्माण की श्रेणी में नहीं माना जावेगा।
- (xi) सैट बैक नियमन के कारण आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि होने पर सैट बैक नियमन राशि एवं आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हेतु देय नियमन राशि में से किसी एक मद जिसमें अधिक राशि बनती है, वह देय होगी।
- (xii) स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप शाफ्ट/कट-आउट का निर्माण नहीं करने पर यदि एफएआर में वृद्धि होती है तो वह नियमानुसार देय होगी।
- (xiii) इन उपविधियों के लागू होने के पश्चात् तालिका (क) में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए तालिका में निर्धारित नियमन राशि भवन स्वामी द्वारा भवन विनियमों के तहत पंजीकृत/अधिकृत तकनीकीविद से वास्तविक मौके पर निर्मित भवन में स्वीकृत निर्माण से अधिक नियमन योग्य अवैध निर्माण की गणना करवाकर भवन के नक्शों स्वीकृति के समय प्रचलित नियमों के अनुरूप अनियमित निर्माण के लिए नियमन राशि स्वयं निर्धारित कर स्थानीय निकाय में जमा करवानी होगी। जिन भवनों में निर्माण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन से पूर्व अथवा बिना स्वीकृति के किया गया है उनमें अवैध निर्माण की गणना वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुरूप की जावेगी। नियमन राशि नकद अथवा बैंकर्स चैक/डीडी के माध्यम से ही जमा करानी होगी। राशि जमा करवाने हेतु चैक मान्य नहीं होगा। प्रकरण की पत्रावली स्वामित्व दस्तावेज एवं मौके पर वास्तविक निर्माण तथा जिस मद में नियमन राशि जमा कराई गई है, के विवरण एवं नियमन हेतु जमा की गई राशि की रसीद के साथ संबंधित नगरीय निकाय के कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी एवं सक्षम

अधिकारी द्वारा पत्रावली प्राप्ति की रसीद भवन स्वामी को प्रदान की जायेगी। राशि एवं पत्रावली जमा करवाने के पश्चात् समिति का निर्णय होने तक भवन में किसी भी प्रकार की तोड़-फोड़ की कार्यवाही न्यास/प्राधिकरण द्वारा नहीं की जावेगी तथा भू-स्वामी द्वारा भी किसी प्रकार का आगे निर्माण नहीं किया जावेगा। सभी प्रकरणों में समझौता समिति का निर्णय मान्य होगा।

- (xiv) भवन अनियमित निर्माण नियमबद्धता/नियमितीकरण उपविधियां, 2014 के लागू करने में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (xv) उपरोक्तानुसार तालिका में वर्णित नियमन राशि को राज्य सरकार की पूर्वानुमति से कम किया जा सकेगा।

5. **अपील :-**

सक्षम समिति के निर्णय के विरुद्ध 30 दिवस में अपील राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के प्रकरणों में निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से तथा न्यास/प्राधिकरण के प्रकरणों में उप/संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।